सरल भाषा में कानून – बाल श्रम

[For Para-Legals/ पराविधिक सेवकों के लिए]

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

[HALSA / हालसा]

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

मुख्य संरक्षक
माननीय न्यायमूर्ति श्री मुकुल मुदगल
मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

कार्यकारी अध्यक्ष
माननीय न्यायमूर्ति श्री आदर्श कुमार गोयल
न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

सदस्य सचिव
श्री हरिन्द्र सिंह भन्नू
जिला एवं सत्र न्यायाधीश

प्रकाशक:
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
एस.सी.ओ. 142–143, पहली मंजिल, सैक्टर 34 ए, चण्डीगढ़।
दूरभाष 0172–2604055, फैक्स 0172–2622875

बाल श्रम

परिचय

आजादी के पचास वर्ष बाद भी, आज बाल मजदूरी एक बड़ी समस्या है। बाल श्रमिकों को विभिन्न लाभकारी कार्यों में नियोजित करना शोषण का कारण बन सकता है। इसका गंभीर प्रभाव बच्चों के विकास पर पड़ सकता है। बाल श्रमिक, विभिन्न व्यवसायिक कार्यों में रत हैं जो खेतीबाडी, पशुपालन, लघु उद्योगों से लेकर खतरनाक व्यवसायों और उत्पादन प्रक्रियाओं तक फैला हुआ है। इसका विस्तार विभिन्न क्षेत्रों और प्रदेशों तक है। अधिकतर यह किसी विशेष स्थान पर केन्द्रित होते हैं, जहाँ व्यवसाय या उत्पादन क्रिया की जाती है। बाल श्रमिकों को मुख्यत: दो भागों में विभाजित किया जा सकता है – ग्रामीण एवं शहरी। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका कारण है प्राथमिक स्कूलों का न होना, गरीबी, बंधुआ मजदूरी या पारंपरिक व्यवसाय। पर खेतीबाड़ी की भूमि की कमी के कारण, बढ़ती जनसंख्या और रोजगार की कमी की वजह से यह ग्रामीण बच्चे शहरों की तरफ जाने के लिए विवश हो जाते हैं। अगर कोई भी बच्चा खेतीबाडी, पशुपालन अथवा पारिवारिक लघु व्यवसाय, अपने परिवार–जनों के साथ कर रहा हो तो वह बाल श्रमिक शोषण का शिकार नहीं होता। परन्तु किसी भी अन्य कार्य के स्थान में बाल श्रमिकों का शोषण ही किया जाता रहा है। बच्चों (वह बच्चे जो विद्यालय न जाते हों) द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विभाजन किया जाए तो इन्हें चार हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, ये हैं–

1. बाल मजदूरी उन बच्चों द्वारा जो वेतन के लिए या अवैतनिक रूप से किसी भी उद्योग, कार्यालय, संस्था, खदान या सेवा क्षेत्र में घरेलू कार्य कर रहे हैं;
2. गली मोहल्लों में कार्यरत बच्चे जो सड़कों और गलियों में जूता पालिश, कूड़ा उठाने वाले या भिखारियों की तरह का कार्य करते हैं;
3. वह बाल श्रमिक जो पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं जैसे खेतीबाड़ी और घरेलू कार्य;
4. बंधुआ मजदूर बच्चे जो अपने परिवार का ऋण चुकाने के लिए बंधुआ बनाए जाते हैं, और उन्हें विवशता–पूर्वक बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में 40 लाख से 100 लाख बच्चे, बाल श्रमिकों की तरह कार्य कर रहे हैं। नेशनल सेम्पल सर्वे के अनुसार 17.02 लाख औसतन बच्चे 1987–88 में बाल मजदूरी कर रहे हैं। इसलिए, बाल श्रमिक से सम्बन्धित आंकड़े बहुत असपष्ट हैं, जिन्हें प्रमाणित करना कठिन है।

1950 से लेकर आज तक बाल श्रमिक उन्मूलन के लिए कई संवैधानिक कानूनी और विकास कार्यक्रमों को अपनाया गया। पर यह समस्या और भी विकट रूप धारण कर चुकी है, और इसके कई कारण हैं – जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में स्थानान्तरण, गरीबी, प्राथमिक शिक्षा का अधिकतर बच्चों के लिए उपलब्ध न होना, बढ़ती हुई बेरोजगारी, कानूनी उपायों को लागू न करना, सरकारी अधिकारियों का ढीलापन, राजनैतिक संवेदना का अभाव, जातिवाद और साम्प्रदायिकता। भारत ने आई.एल.ओ. कन्वेनशन, जो बाल मजदूरी से सम्बन्धित है और बाल श्रमिकों की कार्य व्यवस्था और काम करने की स्थिति को नियंत्रित करता है, उसका अनुसमर्थन किया है, पर वर्ष 1986 तक इस पर कोई भी व्यापक कानून नहीं बनाया गया। वर्ष 1986 में बाल श्रमिक (निषेध एवं नियंत्रण) अधिनियम 1986 अपनाया गया। इस कानून द्वारा कुछ व्यवसायों में बच्चों के कार्य को बिल्कुल निषेध किया गया और कुछ व्यवसायों में बच्चों की कार्य स्थिति पर नियंत्रण के लिए प्रावधान बनाए गए।

बच्चों का एक ऐसे वातावरण में विकास करने की आवश्यकता है जिसमें वे स्वतंत्रता तथा गरिमापूर्ण जीवन बिता सकें। अच्छे नागरिक बनने के लिए उन्हें शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। दुर्भाग्यवश बच्चों का बड़ा अनुपात अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित है। उन्हें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में कार्य करता हुआ पाया जाता है। उनमें से कुछ को बंद रखा जाता है और पीटा जाता है, गुलाम बनाया जाता है और घूमने की स्वतन्त्रता से वंचित किया जाता है। इस प्रकार बाल श्रम को मानव अधिकार का एक मुद्दा तथा एक विकासात्मक विषय बताया गया है।

यहाँ बाल श्रमिक उन्मूलन संबन्धी कानून को संक्षिप्त रूप से बताने का प्रयास किया गया है।

बच्चे की परिभाषा

बाल अधिकारों सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुच्छेद 1 में दी गई परिभाषा के अनुसार बच्चों में अठारह वर्ष की आयु से कम के बच्चे शामिल हैं। बाल श्रमिक (निषेध तथा नियमन) अधिनियम, 1986 में बच्चे की परिभाषा ''एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दी गई है जो अभी चौदह वर्ष का नहीं हुआ है।''

बाल श्रम का अर्थ

'बाल श्रम' की परिभाषा परिवार में अथवा परिवार के बाहर किसी ऐसे कार्य के रूप में किया गया श्रम है जिसमें समय, उर्जा, वचनबद्धता शामिल हैं और जो फुरसत, खेलने तथा शैक्षिक कार्यकलापों में भाग लेने से संबंधित बच्चे की योग्यता पर प्रभाव डालता है। ऐसा कार्य बच्चे के स्वास्थ्य तथा विकास में बाधा डालता है।

अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, ''बाल श्रमिकों में समय से पूर्व प्रौढ़ जीवन बिता रहे बच्चे, उनके स्वास्थ्य और उनके भौतिक तथा मानसिक विकास को क्षति पहुँचाने वाली परिस्थितियों में कम मजदूरी के लिए लम्बे समय तक कार्य कर रहे बच्चे शामिल हैं।'' उन्हें प्रायः उनके परिवारों से अलग रखा जाता है तथा उन्हें उस लाभप्रद शिक्षा तथा प्रशिक्षण अवसरों से वंचित किया जाता है जो उन्हें बेहतर भविष्य प्रदान कर सकते हैं।

बाल श्रम का सर्वाधिक बुरा रूप - वैश्विक परिदृश्य

अनुमान है कि लगभग 8.4 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो सबसे बुरे बाल श्रम में लगे हैं। इसमें देह-व्यापार में 1.2 मिलियन, बलात् बँधुआ मजदूरी 5.7 मिलियन, सशस्त्र संघर्ष के 0.3 मिलियन, वेश्यावृति के 1.8 मिलियन तथा अवैध गतिविधियों के 0.6 मिलियन बच्चे शामिल है।

(स्त्रोत : अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन, 2002)

बाल श्रम के कारण

बाल श्रमिक गरीबी, बेरोजगारी, अल्प–रोजगार तथा कम मजदूरी के दुष्चक्र में फँसे हैं। तीन प्राथमिक कारक इसके लिए उतरदायी है : संसाधनों का असमान वितरण, केन्द्रीकृत तथा असन्तुलित अर्थव्यवस्था तथा कृषि का पिछड़ा स्वरूप।

- ✓ फलस्वरूप, बाल श्रम के मुख्य कारण इस प्रकार हैंः–
- ✓ बाल श्रम के परिणाम के बारे में अभिभावकों की अज्ञानता।
- ✓ बच्चों को पारिवारिक दक्षता सिखाने की परम्परा
- ✓ सर्वजनीन अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का न होना।
- ✓ बाल श्रमिकों के प्रति सामाजिक उदासीनता
- ✓ स्कूलों की उपलब्धता तथा उन तक पहुँच न होना
- ✓ असंगत तथा अनाकर्पीत स्कूली पाठ्यचर्या
- ✓ बच्चों के लिए नियोक्ताओं की वरीयता चूंकि व सस्ते श्रमिक हैं
- ✓ बेराजगारी तथा कम पारिवारिक आय
- ✓ शहरी क्षेत्रों में प्रवास
- ✓ बड़े परिवार
- ✓ बच्चे पारिवारिक आय की अनुपूर्ति करते हैं
- ✓ जाति प्रथा की व्यावसायिक कठोरता
- ✓ असंगठित क्षेत्र में रोजगार संरचना

- ✓ बाल श्रम से सम्बन्धित विधिक उपबंधों (legal provision) का अप्रभावी प्रवर्तन

बच्चों के आर्थिक शोषण के कारण

नियोक्ताओं का विश्वास है कि बच्चों में उनके उद्योग के लिए उपयुक्त कुछेक अपेक्षित गुण होते हैं। बाल श्रमिकों के रोज़गार को आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य समझा जाता है। चूंकि समान कार्य में लगे प्रौढ़ कामगार की तुलना में बाल श्रमिक अधिक घंटे कार्य करता है जिसके लिए बच्चा अपेक्षाकृत कम मजदूरी प्राप्त करता है। उनका यह भी विश्वास है कि :

- ➢ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं तथा मिनटों में कार्य करने की दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, कालीन बुनाई उद्योग में रोजगार के लिए बच्चों को उनकी फुरतीली उँगलियों के कारण वरीयता दी जाती है।

- ➢ वे विरोध नहीं करते चूंकि वे अपने अधिकारों के बारे में अनभिज्ञ हैं। इसके अतिरिक्त, वे कार्य से गैर-हाज़िर भी नहीं रहते।

- ➢ भोले-भाले तथा सरल होने के कारण उन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सकता है।

- ➢ वे अपनी उचित मजदूरी के लिए सौदेबाजी करने अथवा निर्धारित करने में असमर्थ होते है और इस प्रकार वे सस्ते होते हैं।

- ➢ अबोध होने के कारण उन्हें कार्य से जुडे खतरों का ज्ञान नहीं होता जिनमें वे लगाए जाते हैं।

- ➢ जब उनकी सेवाओं की आवश्यकता न हो तब उन्हें हटाया जा सकता है।

- ➢ उनकी रख-रखाव लागत बहुत कम होती है।

बाल श्रम के प्रकार

कार्य में लगे हुए बच्चेः-

- उन असंगठित तथा अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में मजदूरों के रूप में लगे होते हैं जो कानून के दायरे में नहीं आते।

- ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में प्रवासी (migrant) मजदूर के रूप में काम करते हैं

- ऋण अथवा ली गई राशि के बदले में अभिभावक अथवा संरक्षक द्वारा नियोक्ता के पास बंधक रखे बधुँआ मजदूर के रूप में काम करते हैं।

अर्थव्यवस्था के वे क्षेत्र जिनमें बच्चे कार्य करते हैं :–

विनिर्माण क्षेत्र

बच्चों को विभिन्न गृह–आधारित उद्योगों की विभिन्न विनिर्माण प्रक्रियाओं में लगाया जाता है। वे प्रायः अवमानवीय तथा शोषणात्मक स्थितियों में काम करते हैं। इनमें से कुछेक उद्योग इस प्रकार हैं :

- पीतल के बर्तन
- ताला
- दियासलाई तथा आतिशबाज़ी
- हीरे तराशना
- रत्न पालिश करना
- कांच तथा चूड़ी बनाने का उद्योग
- कालीन बनाना
- पत्थर–खदान
- ईटों के भट्टे

- रेशम कीटपालन–रेशम उद्योग
- बीड़ी बनाना

कृषि क्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को कृषि तथा सम्बद्ध व्यवसायों में पारिवारिक श्रमिक के रूप में अथवा व्यक्तिगत कामगारों के रूप में लगाया जाता है।

सेवा क्षेत्र

सेवा क्षेत्र में, बच्चे निम्नलिखित रूपों में काम करते हैं :-

- स्व–नियोजित (self-employed) श्रमिक
- परोक्ष (invisible) श्रमिक
- मजदूरी–अधारित रोज़गार

बच्चों के स्वास्थ्य पर बाल श्रम का प्रतिकूल प्रभाव

बच्चे खतरनाक तथा अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में प्रायः लम्बे समय तक कार्य करते हैं और वे स्थायी भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक हानि का खतरा उठाते हैं। उनको निम्नलिखित रोग हो सकते हैं :-

- श्वसन समस्याएँ जैसे कि दमा, यक्षमा (tuberculosis)।
- सामान्य कमजोरी, अवरूद्ध वृद्धि (stunted growths), बदन दर्द तथा जोड़ो का दर्द
- कमजोर दृष्टि तथा अन्य आँखों की समस्याएँ जैसे कि पानी आना, जलन तथा आँखों की लाली।
- भूख न लगना।

- अर्बुद (Tumor) तथा जलन।

- करघा पर कार्य करने के कारण अशक्ता (disability), उनके बढ़ने के साथ-साथ गठिया का खतरा होना।

- मानसिक अशक्तता (Mental disability)

बाल श्रम (निषेध तथा नियमन) अधिनियम, 1986 की मुख्य विशेषताएँ

अधिनियम :

- अधिनियम की अनुसूची के भाग क और ख में सूचीबद्ध व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में किसी व्यक्ति को जिसने चौदह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, रोजगार के लिए निषेध/रोक लगाता है।

- प्रतिबद्ध व्यवसायों अथवा प्रक्रियाओं की अनुसूची में संशोधनों का निर्णय लेने के लिए पद्धति निर्धारित करता है।

- कार्य की परिस्थितियों का नियमन करता है जहाँ बच्चों को कार्य करने से निषेध नहीं किया जाता है।

- अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में बच्चों के रोजगार के लिए अधिक दण्ड निर्धारित करता है।

अधिनियम की धारा 14 में उस व्यक्ति के लिए जो धारा 3 में उपबंधों के उल्लंघन में बच्चों को काम पर लगाता है अथवा अनुमति देता है, 1 वर्ष की सजा (कम से कम तीन मास) अथवा रू० 20,000/- के दंड (कम से कम दस हजार रू०) अथवा दोनों का प्रावधान है।

व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में, जिन पर अधिनियम द्वारा रोक नहीं है बच्चों की नियुक्ति का नियमन निम्नलिखित उपबंधों द्वारा किया जाता है :

- बच्चे को एक दिन में छह घंटों से अधिक कार्य करना अपेक्षित नहीं होगा जिसमें आधे घंटे का अवकाश शामिल होगा।

- किसी भी बच्चे को सायं 7 बजे से प्रातः 8 बजे के बीच कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी अथवा कार्य करना अपेक्षित होगा।

- किसी भी बच्चे को समयोपरि कार्य करना अपेक्षित अथवा अनुमति नहीं दी जाएगी।

- प्रत्येक बच्चे की सप्ताह में एक छुट्टी होगी।

बच्चों के रोजगार के सम्बन्ध में निरीक्षक को सूचना प्रस्तुत करना नियोक्ता के लिए अनिवार्य होगा। नियोक्ता के लिए इस विषय पर रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा।

बाल श्रम उन्मूलन (elimination) के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु (स.भ.रि. 1997 उ. न्या.699) में नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कुछ व्यावहारिक कदम उठाए हैं जो इस प्रकार है :

1. कार्यरत बच्चों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण।

2. जोखिम उद्योगों में कार्यरत बच्चों को निकलना तथा उपयुक्त संस्थाओं में उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करना।

3. अपराधी नियोक्ता से अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में काम पर लगाए गए प्रति बच्चे के लिए रू० 20,000/- का मुआवजा देने के लिए कहा जाए। नियोक्ता की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होगी चाहे वह कार्य से बच्चे को हटा भी दें।

4. इस प्रकार एकत्र की गई राशि को बाल श्रमिक पुनर्वास–एवं–कल्याण कोष के रूप में ज्ञात एक कोष में जमा किया जाना चाहिए। कोष एक संग्रह का रूप लेगा जिसकी आय केवल सम्बन्धित बच्चे के लिए प्रयोग की जाएगी। अधिक आमदनी पैदा करने के लिए, राशि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा सार्वजनिक निकाय की उच्च मुनाफा स्कीम मे जमा किया जा सकता है।

5. चूंकि उपरोक्त आमदनी बच्चे के रोजगार के लिए अभिभावकों/संरक्षकों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, इस उत्तरदायित्व को पूरा करना राज्य का कर्तव्य है उसे परिवार के वयस्क सदस्य को रोजगार देना चाहिए, जिसके बच्चे को जोखिम उद्योग में काम पर लगाया गया था।

6. उन मामलों में, जहाँ रोज़गार देना सम्भव नहीं होगा, सरकार अपने अंशदायी अनुदान के रूप में कारखाने अथवा खान अथवा किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नियुक्त प्रत्येक बच्चे के लिए रू० 5,000/- की राशि बाल श्रमिक पुनर्वास एवं कल्याण कोष में जमा करेगी।

7. दोनों में से प्रत्येक मामले में चाहे बच्चे के स्थान पर परिवार के वयस्क सदस्य को रोजगार प्रदान कर दिया जाता है अथवा नहीं, बच्चे को काम करने की आवश्यकता नहीं होगी।

8. उन मामलों में जहाँ उपयुक्त ढंग से वैकल्पिक रोज़गार उपलब्ध नहीं कराया जा सका सम्बन्धित बच्चे के अभिभावक/संरक्षक को वह आय दे दी जाएगी, जो प्रत्येक बच्चे के लिए प्रत्येक मास रू० 25,000/- की राशि पर अर्जित होगी। यदि अभिभावक/संरक्षक बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजेगा तो उसे रोजगार से हटा दिया जाएगा और आय की अदायगी नहीं की जाएगी।

9. भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय श्रम नीति के अनुसार प्राथमिक कार्रवाही हेतु कुछ उद्योगों का पहले ही पता लगा लिया गया है।

10. जिला संग्रहण की एक इकाई हो सकता है ताकि जिले का कार्यकारी प्रमुख निरीक्षकों पर नजर रख सकें।

11. जोखिम रोज़गार के सम्बन्ध में, निरीक्षकों को यह देखना होगा कि बच्चों के काम करने के घंटे एक दिन में चार से छह घंटों से अधिक न हों और वे प्रत्येक दिन कम से कम दो घंटे शिक्षा प्राप्त करें। यह भी देखा जाएगा कि शिक्षा का सारा खर्च नियोक्ता द्वारा वहन किया जाए।

श्रम मंत्रालय माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण कर रहा है।

मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित से सम्पर्क कर सकते हैं –

1. उपमण्डल स्तर पर – अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवम् अध्यक्ष, उपमण्डल विधिक सेवा समिति।

2. जिला स्तर पर – जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवम अध्यक्ष/मुख्य दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।

3. हाई कोर्ट/राज्य स्तर पर – कार्यकारी अध्यक्ष/सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एस.सी.ओ.142–143, पहली मंजिल, सैक्टर 34–ए, चण्डीगढ़।
   दूरभाष 0172–2604055

   – सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, चण्डीगढ़। दूरभाष 0172–6607530

4. सुप्रीम कोर्ट स्तर पर – सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, 12/11, जामनगर हाउस, नई दिल्ली। दूरभाष 011–23385321

   – सचिव, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, 109, लायर्ज चैम्बरज, पोस्ट आफिस विंग, सुप्रीम कोर्ट कम्पाउण्ड, नई दिल्ली। दूरभाष 011–23073970

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
एस.सी.ओ 142–143, सैक्टर 34–ए, चण्डीगढ़। फोन: 0172–2604055, फैक्स: 0172–2622875
ई–मेल: hslsa@chd.nic.in, वैबसाईट: www.hslsa.nic.in